ई–गवर्नेंस सोसाईटी (आर0एल0ए0) सरकाघाट, तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 1.9.2005 से 31.3.2014

1 प्रारम्भिक

(क) हिमाचल प्रदेश सरकार, परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्याः टी0पी0टी0–एफ(1)3/2000 ई0–गर्वनेन्स, दिनांक 03.09.2005 के अन्तर्गत प्रदेश सरकार की परिवहन से सम्बधित ई0–गर्वनेन्स सोसाइटीयों का अंकेक्षण स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ई0 गर्वनेन्स सोसाईटी (आर0एल0ए0) सरकाघाट, जिला मण्डी, के अवधि 1.9.2005 से 31.3.14 के लेखाओं का वर्तमान एवं प्रथम अंकेक्षण इस विभाग के श्री विपुल कुमार सूद, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 10.3.2015 से 11.3.2015, 16.3.2015 से 27.3.2015, 30.3.2015 एवं 1.4.2015 से 2.4.2015 के दौरान सरकाघाट में किया गया, जिसके परिणाम अग्रलिखित अनुच्छेदों में दिए गए हैं।

वर्तमान अंकेक्षण के दौरान आय एवं व्यय की विस्तृत जाँच हेतु निम्नलिखित मासों का चयन किया गया

क्र0 सं0	वित्तीय वर्ष	आय की जाँच के लिए चयनित मास	व्यय की जाँच के लिए चयनित मास
1.	2005–06	3/2006	––
2.	2006–07	3/2007	––
3.	2007–08	6/2007	––
4.	2008–09	1/2009	––
5.	2009–10	8/2009	2/2010
6.	2010–11	9/2010	4/2010
7.	2011–12	1/2012	10/2011
8.	2012–13	7/2012	1/2013
9.	2013–14	1/2014	1/2014

(ख) अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नलिखित अधिकारियों ने सोसाईटी के प्रशासक एवं आहरण तथा संवितरण अधिकारी के रूप में कार्य किया

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम	अवधि
1.	श्री अश्वनी कुमार	10.9.2004 से 12.6.2007
2.	मेजर जे0सी0 पटियाल	13.6.2007 से 11.9.2008
3.	श्री विजय कुमार	22.9.2008 से 2.6.2011
4.	श्री किशोरी लाल	22.6.2011 से 8.2.2013
5.	श्री रोहित राठौर	21.2.2013 से लगातार

(ग) गम्भीर अनियमितताओं का सार

क्रम संख्या	पैरे का विवरण	पैरा संख्या	राशि (लाखों में)
1	भुगतान से सम्बन्धित बिल/उपयोगिता प्रमाण पत्र जाँच हेतु प्रस्तुत न करना	7	5.00
2	ई–गर्वनैन्स निधि मे किए गए क्रय में पाई गई अनियमितताएं	8	विवरण पैरे में दिया गया है

यह अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन (आर0एल0ए0) सरकाघाट द्वारा प्रदत्त सूचनाओं एवं जाँच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख पर आधारित है। सोसाईटी द्वारा अंकेक्षण को प्रदत्त किसी गलत या अपूर्ण सूचना अथवा सूचना उपलब्ध न करवाये जाने की स्थिति में इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग का कोई उत्तरदायित्व नहीं है।

2 अंकेक्षण शुल्क

ई0 गर्वनेन्स सोसाईटी (आर0एल0ए0) सरकाघाट के अवधि 9/2005 से 3/2014 के लेखों के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क वास्तविक कार्य दिवसों के आधार पर ₹16,000/– आंका गया। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु इसे निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–09 को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भेजने हेतु अनुभाग अधिकारी की अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 056/2015, दिनांक 01.04.2015 द्वारा उपमण्डल अधिकारी (नागरिक) एवं प्रशासक ई0 गर्वनेन्स (आर0एल0ए0) सरकाघाट से अनुरोध किया गया था तथा उनके द्वारा अंकेक्षण शुल्क की यह राशि पंजाब नेशनल बैंक, सरकाघाट शाखा के चैक संख्याः 229273, दिनांक 9.4.2015 द्वारा भेज दी गई है।

3 वित्तीय स्थिति

ई0 गर्वनेन्स सोसाईटी (आर0एल0ए0) सरकाघाट द्वारा प्रस्तुत सोसाईटी की वित्तीय स्थिति इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के **"परिशिष्ट–क (भाग–I एवं II)"** में संलग्न है तथा माहवार आय/व्यय के आंकड़ों का विवरण उक्त परिशिष्ट के **(भाग–III एवं IV)** में संलग्न है। (आर0एल0ए0), सरकाघाट द्वारा परिवहन सम्बन्धी गतिविधियों से प्राप्त समस्त आय को दिनांक 30.06.2009 तक जिलाधीश मण्डी के नाम से खोले गए खातों में जमा करवाया गया था तथा जमा करवाई गई इस राशि से सरकार को देय 25% भाग के हिस्से को, जिसे दैनिक आधार पर जमा करवाया जाता था, इसके अतिरिक्त अन्य समस्त राशि जिलाधीश एवं मुख्य प्रशासक, ई0–गर्वनेन्स के मुख्यालय में स्थित बचत खाते को Auto Transfer द्वारा हस्तांतरित कर दिया जाता था। इस कारण दिनांक 30.6.2009 तक अर्जित कुल आय को व्यय शीर्ष के अन्तर्गत दर्शाया गया है एवं

दिनांक 1.7.2009 को प्रारम्भिक शेष शून्य दर्शाया गया है। दिनांक 1.7.2009 से पूर्व (आर0एल0ए0) के दैनिक व्यय हेतु राशि मुख्य प्रशासक द्वारा माँग के अनुसार जारी की जाती थी एवं उससे सम्बन्धित सम्पूर्ण अभिलेख का रख–रखाव भी मुख्य प्रशासक के कार्यालय द्वारा किया जा रहा था। तत्पश्चात दिनांक 1.7.2009 से प्राप्त आय को जिलाधीश एवं मुख्य प्रशासक तथा प्रशासक के नाम से पंजाब नैश्नल बैंक, शाखा सरकाघाट में खोले गए संयुक्त खाता संख्याः 0867000104139458, जमा करवाया जा रहा है एवं इसी खाते में जमा कुल आय से व्यय किया जा रहा है तथा मासिक आधार पर कुछ राशि मुख्य प्रशासक के मण्डी स्थित बचत खाते में नियमित रूप से Auto Transfer द्वारा हस्तांतरित की जा रही है।

4 रोकड़ बही का रख–रखाव नियमानुसार न किया जाना

हिमाचल प्रदेश सरकार, द्वारा जारी अधिसूचना संख्याः टी0पी0टी0–एफ(1)3/2000–ई0–गर्वनेन्स दिनांक 03.09.2005 एवं जिलाधीश मण्डी तथा सोसाईटी के मुख्य प्रशासक द्वारा जारी उपबन्धों (Bye Laws) तथा समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार उपमण्डल स्तर पर रोकड़ बही के रख–रखाव बारे निर्देश दिए गए हैं, किन्तु रोकड़ बही एवं अन्य सम्बन्धित अभिलेख की जाँच में पाया गया कि ई0 गर्वनेन्स (आर0एल0ए0) सरकाघाट द्वारा रोकड़बही का रख–रखाव नियमानुसार नहीं किया जा रहा है। ई0–गर्वनेन्स सोसाइटी (आर0एल0ए0) द्वारा न तो प्रत्येक माह के अन्त में आय एवं व्यय की विवरणी तैयार की गई है एवं न ही रोकड़बही का मिलान मासिक एवं वार्षिक आधार पर बैंक पासबुक में किया गया हैं। इसके अतिरिक्त सोसाईटी द्वारा प्रतिवर्ष तुलन पत्र (Balance Sheet) भी तैयार नहीं की गई है। जाँच में यह भी पाया गया कि रोकड़ बही के शेषों को आगे ले जाते समय उन्हें गलत ढंग से उठाया गया है एवं कई स्थानों पर रोकड़ बही में योग में गलितयां की गई हैं तथा आय एवं व्यय की मदों की रोकड़ बही में या तो प्रविष्टियाँ ही नहीं की गई हैं अथवा कम या अधिक राशि की प्रविष्टियाँ रोकड़बही में की गई हैं। इस प्रकार की गलतियों का विवरण इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के **''परिशिष्ट–ख''** में दिया गया है तथा वित्तीय स्थिति एवं बैंक समाधान विवरणी में पाई गई गलतियों/आंकड़ों में भिन्नता का विवरण **परिशिष्ट "ग"** में दिया गया है, जोकि अंकेक्षण द्वारा सोसाईटी के अधिकारियों/कर्मचारियों की सहायता से रोकड़ बही तथा अन्य सम्बन्धित अभिलेख के आधार पर तैयार की गई है। अंकेक्षण में यह भी पाया गया कि रोकड़ बही में कोई गलती हो जाने पर सोसाईटी द्वारा उसे काट कर एवं पुनः ठीक मद को लिखने के स्थान पर गलत ईन्द्राज के उपर ही अधिलेखन कर दिया गया है, जोकि एक अनुचित प्रक्रिया है। अतः **''परिशिष्ट–ख तथा ग''** में दर्शाए गए आंकड़ों की भिन्नता को रोकड़ बही/अभिलेख में ठीक किया जाए तथा कम जमा करवाई गई राशि को भी बैंक में जमा करवाया

जाए। इसके अतिरिक्त भविष्य के सन्दर्भ में सुझाव दिया जाता है कि जब कभी भी रोकड़ बही में किसी प्रविष्टि को ठीक करना हो तो पुरानी प्रविष्टि को काट कर नई प्रविष्टि पुनः लिखी जाए तथा सक्षम प्राधिकारी से इसे प्रतिहस्ताक्षरित करवाया जाए। इसके अतिरिक्त रोकड़बही में प्रत्येक माह में प्राप्त कुल आय एवं किए गए व्यय का विवरण देने के उपरान्त अन्तशेष का विवरण देकर हस्तगत राशि से सम्बन्धित प्रमाण पत्र एवं बैंक में जमा राशि का विवरण भी दिया जाए तथा रोकड़बही के शेष का बैंक में जमा शेष राशि का मिलान भी मासिक तथा वार्षिक आधार पर करना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्रवाई से यथासमय आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

5 सेवा शुल्क के रूप में प्राप्त आय की राशि में से ₹1,851 को बैंक में जमा न करवाने बारे

अभिलेख की जाँच में पाया गया कि (आर0एल0ए0) सरकाघाट द्वारा अंकेक्षणावधि में सेवा शुल्क के रूप में प्राप्त आय की कुल राशि में से ₹1,851/– को बैंक में जमा नहीं करवाया गया है, जिसका सम्पूर्ण विवरण इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के **"परिशिष्ट–ग"** के क्रम संख्या–(II) में दिया गया है। अंकेक्षण द्वारा इस जमा न करवाई गई राशि बारे मामला ई0–गर्वनेन्स सोसाईटी के प्रशासक तथा सम्बन्धित कर्मचारी से उठाया गया था, जिस पर उनके द्वारा उक्त राशि को शीघ्र बैंक में जमा करवा दिए जाने बारे आश्वासन दिया गया। अतः प्राप्त आय को बैंक में जमा न करवाये जाने बारे अथवा कम राशि जमा करवाये जाने बारे स्पष्टीकरण देते हुए समस्त अपेक्षित राशि को दण्ड ब्याज सहित बैंक में शीघ्र जमा करवाया जाए तथा कृत कार्रवाई से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

6 आय की ₹9,608 को रोकड़बही में दर्ज न करने बारे

अभिलेख की जाँच में पाया गया कि (आर0एल0ए0) सरकाघाट द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त निम्नलिखित आय को दिनांक 31.03.2014 तक रोकड़ बही में दर्ज नहीं किया गया है, यद्यपि उक्त प्राप्त आय को बैंक में जमा करवा दिया गया है, जबकि नियमानुसार प्रत्येक आय को बैंक में जमा करवाने से पूर्व रोकड़बही में दर्ज किया जाना अपेक्षित था।

क्र0 सं0	**दिनांक**	**राशि/ प्राप्त आय**	**टिप्पणी**
1	1.12.2009	1,790	
2	17.12.2009	728	
3	27.1.2010	1,360	
4	30.4.2010	2,550	
5	7.3.2011	360	उक्त राशियों का विवरण इस अंकेक्षण एवं

6	8.4.2011	640	निरीक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट–''ग''** के क्रम संख्याः (1) में दर्ज है।
7	6.5.2011	430	
8	8.7.2011	920	
9	2.9.2011	650	
10	4.10.2011	180	
	योग	**₹9,608**	

अतः प्राप्त आय को रोकड़बही में दर्ज न करने बारे कारण स्पष्ट करते हुए इस आय को अविलम्ब रोकड़बही में दर्ज किया जाए तथा की गई कार्रवाई से इस विभाग को अवगत करवाया जाए। इसके अतिरिक्त भविष्य के सन्दर्भ में यह सुझाव दिया जाता है कि सेवा शुल्क के रूप में प्राप्त आय को रोकड़ बही में यथासमय दर्ज किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि इस तरह की अनियमितताओं की पुनरावृति न हो एवं सोसाईटी की सही वित्तीय स्थिति परिलक्षित हो सके।

7 भुगतान की गई ₹5,00,000 से सम्बन्धित बिल/उपयोगिता प्रमाण पत्र जाँच हेतु प्रस्तुत न करने बारे

अभिलेख की जाँच में पाया गया कि उपमण्डलाधिकारी (नागरिक) एवं प्रशासक (आर0एल0ए0) सरकाघाट द्वारा माह 4/2010 में जिलाधीश मण्डी एवं मुख्य प्रशासक/अध्यक्ष ई0–गर्वनेन्स सोसाईटी से चैक संख्याः 553871, दिनांक 31.3.2010 द्वारा ₹5,00,000/– ई0–गर्वनेन्स सैन्टर के निर्माण हेतु प्राप्त की गई थी एवं इस राशि को रोकड़बही के पृष्ठ संख्याः 78, पर रोकड़बही के क्रमांक 4 में दिनांक 26.4.2010 की व्यय कॉलम/पक्ष में दर्शाकर दिनांक 26.4.2010 को चैक संख्या 338071 द्वारा सहायक अभियन्ता (विकास) सरकाघाट स्थित धर्मपुर को जारी कर दिया गया है, किन्तु उक्त जारी की गई राशि में किए गए व्यय से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के अभिलेख/उपयोगिता प्रमाण पत्र जाँच हेतु वर्तमान अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः उक्त व्यय से सम्बन्धित सम्पूर्ण अभिलेख उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित विभाग से शीघ्र प्राप्त किए जाएं तथा जाँच हेतु आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किए जाने सुनिश्चित किए जाएं।

8 ई0–गर्वनैन्स निधि से किए गए क्रय में पाई गई अनियमितताएं

ई0 गर्वनैन्स सोसाईटी (आर0एल0ए0) सरकाघाट द्वारा क्रय किए गए विभिन्न सामान से सम्बन्धित निम्नविवरणानुसार बिलों की जाँच में पाया गया कि क्रय किये गए विभिन्न सामान हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार एवं सोसाईटी द्वारा बनाये गये नियमों एवं क्रय प्रक्रिया की पूर्णतया अनदेखी की गई है तथा अधिकतर मामलों में सक्षम प्राधिकारी की व्यय हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है तथा क्रय की गई सामग्री की स्कंध प्रविष्टियां इत्यादि भी नहीं की गई हैं।

फर्म का नाम	क्रय सामान का विवरण	बिल संख्या	दिनांक	भुगतान माह	राशि
मैं0 साजन फोटो स्टूडियो, सरकाघाट	ग्लोसी पेपर 30 पैकेट	452	30.12.2009	2/2010	4,500
मैं0 प्रिन्स इन्टरप्राईज़ेज सरकाघाट	हैलोजन हीटर	1998	8.12.2009	2/2010	1,300
मैं0 एच0पी0 डाक्यूमेंट साल्यूशन, सुन्दरनगर	हॉट रोलर 1 अदद	3118	19.12.2009	2/2010	3,558
मैं0 आदित्य जनरल स्टोर अवाहदेवी, हमीरपुर	कार्टरिज़स तीन नम्बर	469	11.2.2010	4/2010	10,140
मैं0 आदित्य जनरल स्टोर अवाहदेवी, हमीरपुर	A3 and A4 Paper	456	11.2.2010	4/2010	5,590
मैं0 आदित्य जनरल स्टोर अवाहदेवी, हमीरपुर	टोनर 3 नं0 पेपर 2 रिम	006	3.10.11	10/2011	11,740
मैं0 मैं0 नवीन पुस्तक भण्डार	सटेशनरी पैन आदि	5439	23.9.11	10/2011	110
मैं0 आर0 सी0 सिस्टम	टैलफोन स्ट्रिप	267	10.8.2011	10/2011	1,200
मैं0 अनिल ऑफसैट प्रिन्टर्ज	बिजटिंग कार्ड आदि	042	23.9.11	10/2011	460
मैं0 साजन फोटो स्टूडियो सरकाघाट	ग्लोसी पेपर 8 पैकेट	343	27.9.11	10/2011	1,600
मैं0 शर्मा फर्नीचर हाऊस सरकाघाट	मेज 1 नं0	219	12.8.11	10/2011	400
मैं0 चामुण्डा फर्नीचर इन्डस्ट्री नैर चौक मण्डी	रिवॉलविंग कुर्सी नम्बर	087	11.8.2001	10/2011	2,700
मैं0 ग्लोबल कम्पयूटर साल्यूशन सरकाघाट	आर सी पेपर 5000 नं0	472	19.1.13	1/2013	25,042
	नोटः (₹25,000 का भुगतान किया गया)				

मैं0 ग्लोबल कम्पयूटर साल्यूशन सरकाघाट	आर सी पेपर, ए4 पेपर, टोनर आदि	4205	28.1.14	1/2014	17,850
मैं0 गुप्ता क्लाथ हाऊस सरकाघाट	मारकीन कपड़ा 15 मीटर	6644	23.1.14	01/2014	450
मैं0 गुप्ता क्लाथ हाऊस सरकाघाट	मारकीन कपड़ा 15 मीटर	6573	26.11.2013	01/2014	450
मै0 राज बुक डिपो, सरकाघाट	रोकड़ बही 1 नम्बर	10138	3.12.13	1/2014	130
मिनी सैक्ट्रीयेट केन्टीन सरकाघाट	जलपान का बिल	267	शून्य	1/2014	750
मिनी सैक्ट्रीयेट केन्टीन सरकाघाट	जलपान का बिल	257	शून्य	01/2014	1,000

उपरोक्त वर्णित भुगतान बिलों में निम्नलिखित अंकेक्षण अभियुक्तियाँ पाई गई, जिनका निराकरण अपेक्षित है :–

(क) (आर0एलए0ए) सरकाघाट द्वारा उपरोक्त वर्णित सभी क्रय हेतु सरकार द्वारा निर्धारित क्रय प्रक्रिया की पूर्णतया अवहेलना/अनदेखी करते हुए किसी भी प्रकार की औपचारिकताओं को पूर्ण नहीं किया गया है। इस प्रकार क्रय करने से पूर्व निविदायें आमन्त्रित न करने के कारण उपरोक्त समस्त क्रय करते समय में बाजारी प्रतिस्पर्धा का लाभ नहीं उठाया गया है, जबकि सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों तथा जिलाधीश मण्डी एवं मुख्य प्रशासक ई0–गर्वनेन्स द्वारा जारी ई0–गर्वनेंस फण्ड रूल्स के नियम 7.2 में स्पष्टतः उल्लेखित है कि सभी क्रय नियमानुसार किए जाने चाहिए (All store stock items shall be purchased strictly in accordance with rules)। अतः बिना औपचारिक्तायें पूर्व किए सामान का क्रय करने बारे स्पष्टीकरण देते हुए सम्बन्धित मामलों में सक्षम प्राधिकारी के कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त की जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(ख) अभिलेख की जाँच में यह भी पाया गया कि क्रम संख्या 6 में वर्णित भुगतान बिल को छोड़कर अन्य समस्त बिलों की स्कंध प्रविष्टियाँ स्कंध पंजिका में नही की गई है, जिसके अभाव में उपरोक्त वर्णित क्रम को प्रमाणिक नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि नियमानुसार किसी भी सामान को क्रय करने के उपरान्त सर्वप्रथम उसकी स्कंध प्रविष्टि खपत योग्य एवं स्थाई वस्तुओं हेतु पृथक–पृथक रूप से अलग–अलग रजिस्टरों में की जानी अपेक्षित होती है एवं तदानुसार ही उनका

क्रमांक इत्यादि भुगतान बिलों में दर्शाया जाना अपेक्षित होता है। अतः इस चूक बारे स्पष्टीकरण देते हुए उपरोक्त वर्णित समस्त सामान की स्कंध प्रविष्टियाँ सम्बन्धित पंजिकाओं में की जाए तथा कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(ग) क्रम संख्या 2, 11 एवं 12 में हेलोजन हीटर, मेज एवं कुर्सी (Revolving Chair) पर किया गया व्यय ई0–गर्वनेन्स निधि पर उचित प्रभार नहीं है, क्योंकि ई0–गर्वनेंस फण्ड रूल्स में इन वस्तुओं पर क्रय हेतु प्रावधान नही है। अतः उक्त वर्णित क्रय की गई मदों को सक्षम अधिकारी से विशेष स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाए अन्यथा इस समस्त राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करने के उपरान्त इसे ई0–गर्वनेन्स निधि में जमा करवाया जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(घ) क्रम संख्या 4 एव 5 में वर्णित बिलों से सम्बन्धित सामान का क्रय तहसील कार्यालय के प्रयोगार्थ किया गया है। अतः उक्त सामान की राशि की वसूली तहसील कार्यालय से करने के उपरान्त इसे (आर0एल0ए0) के खाते में जमा करवाया जाए तथा कृत कार्रवाई से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

9 श्री अश्वनी कुमार, कनिष्ठ सहायक को कैश हैंडलिंग अलाऊन्स (Cash Handling Allowance) के रूप में ₹2400 का अधिक भुगतान करना तथा वर्तमान में दिए जाने वाले भत्तों से सम्बन्धित सक्षम अधिकारी के आदेश के अतिरिक्त अनुबन्ध पर रखे गए डाटा एण्ट्री ऑपरेटर एवं लिपिक के अनुबनध पत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना

(क) (आर0एल0ए0) सरकाघाट द्वारा अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख की जाँच में पाया गया कि श्री अश्वनी कुमार, कनिष्ठ सहायक को माह 4/2011 से 9/2011 के दौरान (₹400 + ₹300 = ₹700) प्रतिमाह की दर से कैश हैन्डलिंग अलाऊंस (Cash Handling Allowance) दिया गया है, जबकि जिलाधीश मण्डी एवं चैयरमेन/मुख्य प्रशासक ई0–गर्वनेन्स द्वारा जारी पत्र संख्या ई0–गर्वनेन्स 2009–4556–78, दिनांक 28.07.2009 द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि जिस (आर0एल0ए0) में अधीक्षक एवं वरिष्ठ सहायक नहीं है तथा रोकड़ बही के लिखने एवं पैसे के लेन–देन से सम्बन्धित रोकड़िये (Cashier) का कार्य कनिष्ठ सहायक/लिपिक द्वारा किया जा रहा है, तो उस स्थिति में ही उन्हें ₹300/–प्रतिमाह की दर से कैश हैन्डलिंग अलाऊंस देय है। अतः श्री अश्वनी कुमार, कनिष्ठ सहायक को माह 4/2009 से 9/2009 के दौरान अधिक प्रदान की गई ₹2400/– (400 x 6) की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से करने के उपरान्त इसे ई0–गर्वनेन्स निधि में जमा करवाया जाए तथा कृत कार्रवाई से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(ख) इसके अतिरिक्त अभिलेख की जाँच में यह भी पाया गया कि वर्तमान में भी रोकड़बही के रख–रखाव बारे दिया जाने वाला ₹400/–प्रतिमाह का भत्ता एवं कैश हैन्डलिंग अलाऊंस (Cash Handling Allowance) ₹300/– प्रति माह की दर से लाईसैंन्स लिपिक एवं ई.–गर्वनेंस में अनुबन्ध पर नियुक्त लिपिक को दिया जा रहा है, किन्तु इन कर्मचारियों को दिए जाने वारे इन भत्ते से सम्बन्धित जिलाधीश के कार्यालय के आदेश वर्तमान अंकेक्षण में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए, जिन्हें आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ग) ई0–गर्वनेन्स सोसाईटी (आर0एल0ए0) सरकाघाट द्वारा अनुबन्ध पर रखे गए डाटा एण्ट्री ऑपरेटर एवं लिपिक के अनुबन्ध पत्र जाँच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः इन समस्त अनुबन्ध पत्रों के जाँच हेतु आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाए ताकि इन्हें दिए जा रहे मानदेय एवं इनकी नियुक्ति से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच तदानुसार की जा सके।

10 स्कंध पंजिकाओं का रख–रखाव नियमानुसार न किया जाना

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम, 2009 के नियम 135(3) सहपठित ई0–गर्वनेन्स फण्ड रूलस जिला मण्डी के नियम 9 एवं सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार (आर0एल0ए0) द्वारा स्थाई एवं अस्थाई वस्तुओं हेतु अलग–अलग स्कंध पंजिकाओं का रख–रखाव किया जाना अपेक्षित है एवं प्रत्येक मद की प्रविष्टि अलग–अलग पृष्ठ पर की जानी अपेक्षित है, किन्तु अभिलेख की जाँच में पाया गया कि (आर0एल0ए0) सरकाघाट द्वारा क्रय किए गए सामान की या तो स्कंध प्रविष्टियां की ही नहीं गई हैं अथवा यदि स्कंध प्रविष्टियाँ की भी गई है तो भी इन्हें नियमानुसार न करके सभी वस्तुओं/मदों की प्रविष्टियाँ तिथिवार एक ही पृष्ठ पर कर दी गई हैं एवं क्रय किए गए सामान की आगामी खपत से सम्बन्धित अभिलेख का रख–रखाव भी नियमानुसार नहीं किया गया है, जिस कारण क्रय किए गए सामान की प्राप्ति एवं उसके आगामी निपटारे से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच वर्तमान अंकेक्षण में नहीं की जा सकी। इसके अतिरिक्त ई0–गर्वनेन्स फण्ड रूल्स के नियम 9.3 के अनुसार क्रय किए गए समस्त सामान को प्राप्त करने के उपरान्त उसका परीक्षण, गिनती एवं माप इत्यादि किया जाना अपेक्षित होता है तथा सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा क्रय सामान की गुणवता, मात्रा तथा उसके स्पेसिफिकेशन के अनुसार होने का प्रमाण पत्र भी देना अपेक्षित होता है। इसी प्रकार नियम 9.4 के अनुसार स्टॉक में पडे सामान का वर्ष में कम से कम एक बार प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित होता है तथा यदि स्कंध पंजिका एवं प्रत्यक्ष सत्यापन में कोई अन्तर आता है तो उसे अविलम्ब स्कंध पंजिका में दर्ज किया जाना भी अपेक्षित होता है, किन्तु (आर0एल0ए0) सरकाघाट के प्रकरण में पाया गया कि उपरोक्त वर्णित नियमों की पूर्णतया अवहेलना करते हुए न तो सम्बन्धित बिलों पर प्रमाण पत्र दिए

गए और न ही स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया है। अतः नियमों की अनुपालना न करने बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए स्टॉक पंजिकाओं का रख–रखाव नियमानुसार सुनिश्चित करते हुए उससे क्रय किए गए सामान की स्कंध प्रविष्टियाँ एवं उसके आगामी निपटारे से सम्बन्धित प्रविष्टियाँ की जाएं तथा स्टाक में पडे सामान का प्रत्यक्ष सत्यापन भी करके कृत कार्यवाई से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

11 रोकड़ बही में आय की ₹200 कम दर्ज करना

अभिलेख की जाँच में पाया गया कि दिनांक 29.01.2009 को (आर0एल0ए0) सरकाघाट द्वारा वाहन एवं सारथी की आय के रूप में कुल **₹**1,020 प्राप्त की गई थी, किन्तु रोकड़ बही के पृष्ठ संख्या 28 पर क्रमांक 3 में इस आय के स्थान पर केवल **₹**820 ही दर्ज की गई एवं इतनी राशि ही बैंक में जमा करवाई गई। इस प्रकार रेाकड़ बही में **₹**200/– कम दर्शा कर बैंक में भी कम राशि जमा करवाई गई है। अतः कम जमा करवाई गई राशि की वसूली उचित स्त्रोत से शीघ्र करने के उपरान्त इसे ई0–गर्वनेन्स निधि में जमा करवाया जाए तथा कृत कार्रवाई से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

12 विविध

केन्द्रीय इकाई, मण्डी से समय–समय पर (आर0एल0ए0) सरकाघाट को जारी की गई विभिन्न मदों तथा ई0–गर्वनेन्स सोसाइटी (आर0एल0ए0) सरकाघाट से केन्द्रीय इकाई, मण्डी को समय–समय पर भेजी गई राशि का मिलान केन्द्रीय इकाई से नहीं किया गया है। अतः इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाई करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

13 लघु आपत्ति विवरणिका :– इसे अलग से जारी नहीं किया गया है।

14 निष्कर्ष :– (आर0एल0ए0) की रोकड़ बही एवं अन्य अभिलेख के रख–रखाव में सुधार की आवश्यकता के अतिरिक्त रोकड. बही एवं बैंक पास बुक का मिलान मासिक/वार्षिक आधार पर किया जाना एवं तदानुसार बैंक समाधान विवरणी तैयार की जाए।

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(2)(सी)(15)(xii)(51)/2015–खण्ड–1–4994–9498,दिनाकः27.8.15 शिमला–09

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

पंजीकृत

1 उपमण्डल अधिकारी (नागरिक)–एवं–सचिव–ई0–गर्वनेन्स सोसाइटी (आर0 एल0 ए0) सरकाघाट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित कि जाती है कि वह इस अकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करवाकर सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को भिजवाना सुनिश्चित करें।

2 जिलाधीश एवं अध्यक्ष ई0–गर्वनेन्स सोसायटी मण्डी, जिला मण्डी, हि0प्र0।

3 निदेशक, परिवहन विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171004

4 विशेष सचिव (परिवहन), हिमाचल प्रदेश, शिमला–171002

5 श्री विपुल कुमार सूद, अनुभाग अधिकारी द्वारा ....

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009